न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या ...../..... उनवान.....बनाम	
17/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण एवं वरिष्ठतम अधिकारी युवा ने व्यक्त कि पत्रावली पूर्व आदेशानुसार तामील ..... इनपुट अधूरा ..... दिनांक 16/2/26 को पेश हो।	
	C.No. 195/2004 अवान अनुराधा v/s किशन सिंह	
	X	
16/4/26	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप। वकील वादी की मूल वाद पर बहस सुनी गई। हमारे द्वारा नवीनतम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हो चुका है अब वादीगण को न्यायालय से कोई अनुतोष देय नही है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर की जावे। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ अजमेर	